संख्या 22/5/1982-कार्मिक-2

प्रेषक,

श्री ओ०पी० आर्य
सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ०प्र०।

कार्मिक अनुभाग-2 *लखनऊ : दिनांक 27 जुलाई, 1991*

विषय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर अब तक जारी शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आरक्षण के सम्बन्ध में प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों के मामलों में नियोक्ता प्राधिकारी को चाहिए कि वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग का दावा करने वाले उम्मीदवार के नियुक्ति प्रस्तावों में निम्नलिखित आशय की एक धारा अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें—

"यह नियुक्ति अस्थाई है और जाति/जनजाति प्रमाण-पत्रों के उचित माध्यम से सत्यापन किए जाने की शर्त पर की जाती है और यदि सत्यापन किये जाने पर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति/पिछड़े वर्ग जैसा भी मामला हो, का दावा झूठा प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।"

2- कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को अवगत कराने तथा इनका अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय
ओ०पी० आर्य
सचिव।